छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 9/5/2021

क्रमांक एफ 5-81/कोर्ट/2021/17-एक :: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2021 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गयी थी। समिति की अनुशंसा पर विचार कर राज्य सरकार एतद् द्वारा विभिन्न श्रेणियों में टीकों के आवंटन का अनुपात निम्नानुसार निर्धारित करती है :-

क.	श्रेणी	कोविड वैक्सीन का आवंटन प्रतिशत
1.	फ्रंटलाईन वर्कर (नीचे दी गई सूची अनुसार)	कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 20%
2.	अंत्योदय राशन कार्ड, निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड एवं निःशक्तजन राशन कार्ड	शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 15% अर्थात् कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 12%
3.	बीपीएल राशन कार्ड	शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 65% अर्थात् कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 52%
4.	एपीएल श्रेणी	शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 20% अर्थात् कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 16%

2/ फ्रंटलाईन वर्कर :- निम्नलिखित श्रेणी के लोगों को फ्रंटलाईन वर्कर माना जायेगा-

1. नीचे दी गई सूची में शामिल Comorbidity वाले व्यक्ति
2. भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता
3. बस एवं ट्रक के ड्राइवर एवं कंडक्टर
4. आंगन- बाड़ी कार्यकर्ता
5. मितानिन
6. पंचायत सचिव/ कर्मी
7. पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता
8. Institutional care में रहने वाली महिलाएं
9. गांव के कोटवार एवं पटेल
10. राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य Public Sector Undertaking के कर्मचारी
11. वृद्धाश्रम, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रों में कार्यरत व्यक्ति

12. श्मशान/कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति
13. दिव्यांग व्यक्ति
14. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे– प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/मार्कफेड/सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी
15. कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाये गये व्यक्ति
16. वकील एवं पत्रकार
17. उपरोक्त के Immediate परिवार के सदस्य
18. बंदी
19. राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति

3/ निम्नलिखित Comorbidity वाले व्यक्तियों को फ्रंटलाईन वर्कर के समान प्राथमिकता दी जाएगी :–

1. हृदय रोग
2. मधुमेह
3. किडनी रोग
4. उच्च रक्त चाप
5. सिकल सेल एवं थेलेसीमिया
6. कैंसर
7. एड्स

4/ विभिन्न श्रेणीयों के हितग्राहियों की पहचान निम्नलिखित रूप से की जाएगी :–

1. अंत्योदय राशन कार्ड, निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, निःशक्तजन राशन कार्ड एवं बीपीएल राशनकार्ड श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान केवल उनके राशनकार्ड के द्वारा ही की जाएगी । अन्य किसी पहचान पत्र के द्वारा नही की जाएगी।
2. एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों की पहचान राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड के माध्यम से की जाएगी ।
3. Comorbidity वाले व्यक्तियों की पहचान के लिये ऊपर क्रमांक 2 में दिये पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा ।
4. फ्रंटलाईन वर्कर श्रेणी में ऊपर क्रमांक 2 में दिये पहचान पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा :–
   अ. शासकीय कर्मचारियों के लिये जिला स्तरीय अधिकारी का प्रमाण पत्र
   ब. वकीलों के लिये बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र
   स. पत्रकारों के लिये जिले के पीआरओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र
   द. अन्य व्यक्तियों के लिये जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र

5/ किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। जो स्वेच्छा से लगवाना चाहेंगे, उन्हीं को टीका लगाया जायेगा।

6/ यह आदेश प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्र. एफ 5-81/कोर्ट/2021/17-एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 9/5/2021

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. मुख्य सचिव के उप सचिव
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 रायपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त छ0ग0
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 रायपुर
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
9. प्रबंध संचालक, सीजीएमएससी छ0ग0 रायपुर
10. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ0ग0 रायपुर
11. संचालक, परिवार कल्याण छ0ग0 रायपुर
12. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छ0ग0 रायपुर
13. संचालक, आयुष, छ0ग0 रायपुर
14. आयुक्त, जनसंपर्क को व्यापक प्रचार-प्रसार के अनुरोध के साथ
15. समस्त कलेक्टर छ0ग0.
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
18. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य जिला अस्पताल, छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग